संख्या-65/2017/896/12-3-2017-100(37)/2017

प्रेषक,

ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 05 सितम्बर, 2017

विषय- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 0204-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की योजनायें के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवमुक्त धनराशि में से रू0-30.63 लाख की धनराशि डिसैंक्शन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक के पत्र संख्या-585/रा.कृ.वि.यो./2017-18/लेखा-04, दिनांक 25.8.2017 एवं शासनादेश संख्या-428/12-3-2017-100(37)/2017, दिनांक 27.04.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वारा अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0204-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की योजनायें के अन्तर्गत मानक मद-27-सब्सिडी में स्वीकृत धनराशि रू0-625.00 लाख (रू0 छः करोड़ पच्चीस लाख मात्र) में से रू0-30.63 लाख (रू0 तीस लाख तिरसठ हजार मात्र) को डिसैंक्शन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त के फलस्वरूप मानक मद-27-सब्सिडी में स्वीकृत धनराशि रू0-625.00 लाख के स्थान पर रू0-594.37 लाख अंकित पढ़ा जाय।

4- उक्त डिसैंक्शन की स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि रू0 625.00 लाख (रू0 छः करोड़ पच्चीस लाख मात्र) में से रू0-30.63 लाख (रू0 तीस लाख तिरसठ हजार मात्र) का आहरण कोषागार से न किया गया हो।

5- उक्त शासनादेश संख्या-428/12-3-2017-100(37)/2017, दिनांक 27.04.2017 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्राविधान यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

सं0-65/2017/896(1)/12-3-2017-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- निदेशक, आर के. वी. वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।
7- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, लखनऊ।
10- सम्बन्धित परियोजनाधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।
11- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
12- नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।
13- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
14- शासनादेश की वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in पर अपलोड करने हेतु।
15- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 राम चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in